संख्या-74/2019/1903 ई-2/तेरह-2019-110/2015

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 11 अक्टूबर, 2019

विषय:- मे0 परनाड रिकार्ड इण्डिया प्रा0 लि0 को (एफ0एल0-3क अनुज्ञापन) के अन्तर्गत स्प्रिट का रंगना, सम्मिश्रण करना (ब्लेडिंग), सुवासित करना (फ्लेवरिंग) तथा तीव्रतावरोह (रिडक्शन) की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को संबोधित अपने पत्र संख्या-जी-11149/नौ-अल्कोहल/14/एफ0एल0-3/3ए/को-आपरेटिव, दिनांक 16-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मे0 परनाड रिकार्ड इण्डिया प्रा0 लि0 को (एफ0एल0-3क अनुज्ञापन) के अन्तर्गत स्प्रिट का रंगना, सम्मिश्रण करना (ब्लेडिंग), सुवासित करना (फ्लेवरिंग) तथा तीव्रतावरोह (रिडक्शन) की अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16-09-2019 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मे0 परनाड रिकार्ड इण्डिया प्रा0 लि0 को एफ0एल0-3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत स्प्रिट का सम्मिश्रण करने (ब्लेडिंग), सुवासित करने (फ्लेवरिंग) तथा तीव्रतावरोह करने (रिडक्शन) की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त इकाई द्वारा समय-समय पर अन्य राज्यों/देशों से आयात किये जाने वाले सभी प्रकार के स्प्रिट/मॉल्ट/स्कॉच का आयात एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन हेतु निर्धारित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पट्टादाता आसवनी के माध्यम से किया जाएगा तथा उक्त पर देय सभी शुल्कों का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

तद्रसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in